राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : 8/P.I./2016 दिनांक : 17.5.2016.

परिपत्र

सभी जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण का ध्यान पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 13 पी0आई0 दिनांक 23.10.1973 तथा पी0आई0/2/2010 दिनांक 12.1.2010 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने न्यायालय में सदैव पर्याप्त संख्या में मूल दीवानी एवं आपराधिक प्रकरण सुनवाई हेतु रखें तथा सभी पुराने एवं जटिल प्रकरणों को अपने अधीनस्थ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण के न्यायालयों को अंतरित नहीं करें। तुरंत सन्दर्भ के लिए दोनों परिपत्रों की प्रतियॉ संलग्न हैं।

उपरोक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के बावजूद सामान्यतः यह देखा गया है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण द्वारा अत्यंत गंभीर प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन तथा महत्वपूर्ण दीवानी प्रकरण भी अपने न्यायालय में नहीं रखे जाते हैं बल्कि अपने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण के न्यायालयों को अंतरित कर दिये जाते हैं जो उचित नहीं हैं। उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा इस प्रवृति को गंभीरता से लिया गया है।

उपरोक्त परिपत्रों के जारी करने के पीछे यह स्पष्ट धारणा रही है कि बर्बर हत्याकाण्ड, बलात्कार सहित हत्या, हत्या सहित डकैती एवं इसी तरह के अति गंभीर प्रकृति के अपराध घटित होने पर पीड़ित पक्ष के साथ–साथ पूरा समाज आतंकित होता है, सभी में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अपराधियों के दण्डित नहीं होने तक सभी के मन में गहरा क्षोभ बना रहता है। पीड़ित पक्ष में प्रतिशोध की भावना पनपती है, जिसकी परिणति कई बार अपराधों की अंतहीन श्रृंखला के रूप में सामने आती है। ऐसे मामलों के निस्तारण में देरी होने पर समाज में न्यायपालिका के प्रति आस्था एवं विश्वास में कमी आती है। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रकृति के दीवानी वादों का समय पर निस्तारण नहीं होने पर भी न्यायपालिका की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में उपरोक्त प्रकृति के दीवानी व आपराधिक मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाना उचित, आवश्यक एवं सभी के हित में है।

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

CIRCULAR

No. 13/P.I.   Dated October 23, 1973.

During the course of inspection of subordinate courts by the Hon'ble Chief Justice it has been noticed that the District and Sessions Judges frequently transfer cases from their own files to the Additional District and Sessions Judges/Civil & Assistant Sessions Judges when the cases become old and stagnant. This tendency is undesirable. It is expected that old and complicated cases will be retained by the District and Sessions Judges and disposed of as early as possible.

It is directed that, before transferring the cases, the District & Sessions Judges should examine them carefully and, as far as possible, they should not transfer old and complicated cases to the Additional District and Sessions Judges and Civil & Assistant Sessions Judges but retain them on their own files and dispose them of as early as possible.

BY ORDER,

(Ramji Lal Gupta)
REGISTRAR.

No. Gen/IX(i)25/73/6414   Dated October 23, 1973.

Copy forwarded to all the District and Sessions Judges.

REGISTRAR

M.L.A.
24/10

No. P.I./03/2010 Dated : 12/01/2010

To,

All the District & Sessions Judges

It has been observed that District & Sessions Judges do not keep original Civil and Criminal cases for trial with them. The prevailing trend in this respect is not desirable.

It is therefore, enjoined upon all the District & Sessions Judges to keep some original Civil and Criminal cases with them for trial.

BY ORDER

12.1.10.

REGISTRAR GENERAL

NO. GEN/XIX/MISC./46/2010/ 68 Dated :12/01/2010

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : दिनांक :

परिपत्र

सभी जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण का ध्यान पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 13 पी0आई0 दिनांक 23.10.1973 तथा पी0आई0/2/2010 दिनांक 12.1.2010 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने न्यायालय में सदैव पर्याप्त संख्या में मूल दीवानी एवं आपराधिक प्रकरण सुनवाई हेतु रखें तथा सभी पुराने एवं जटिल प्रकरणों को अपने अधीनस्थ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण के न्यायालयों को अंतरित नहीं करें। तुरंत सन्दर्भ के लिए दोनों परिपत्रों की प्रतियॉ संलग्न हैं।

उपरोक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के बावजूद सामान्यतः यह देखा गया है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण द्वारा अत्यंत गंभीर प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, जमानत आवेदन तथा महत्वपूर्ण दीवानी प्रकरण भी अपने न्यायालय में नहीं रखे जाते हैं बल्कि अपने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण के न्यायालयों को अंतरित कर दिये जाते हैं जो उचित नहीं हैं। उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा इस प्रवृति को गंभीरता से लिया गया है।

उपरोक्त परिपत्रों के जारी करने के पीछे यह स्पष्ट धारणा रही है कि बर्बर हत्याकाण्ड, बलात्कार सहित हत्या, हत्या सहित डकैती एवं इसी तरह के अति गंभीर प्रकृति के अपराध घटित होने पर पीड़ित पक्ष के साथ–साथ पूरा समाज आतंकित होता है, सभी में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अपराधियों के दण्डित नहीं होने तक सभी के मन में गहरा क्षोभ बना रहता है। पीड़ित पक्ष में प्रतिशोध की भावना पनपती है, जिसकी परिणति कई बार अपराधों की अंतहीन श्रृंखला के रूप में सामने आती है। ऐसे मामलों के निस्तारण में देरी होने पर समाज में न्यायपालिका के प्रति आस्था एवं विश्वास में कमी आती है। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रकृति के दीवानी वादों का समय पर निस्तारण नहीं होने पर भी न्यायपालिका की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में उपरोक्त प्रकृति के दीवानी व आपराधिक मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाना उचित, आवश्यक एवं सभी के हित में है।

अतः सभी जिला एवं सेशन न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं दीवानी मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण स्वयं प्राथमिकता से करें और ऐसे प्रकरणों को अपने अधीनस्थ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों को अंतरित नहीं करें।

इसी प्रकार जिला मुख्यालय के बाहर स्थित एक से अधिक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय होने की स्थिति में उक्त प्रकृति के महत्वपूर्ण मामलों का विचारण तुलनात्मक रूप से वरिष्ठ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा किये जाने की व्यवस्था करें।

यदि उपरोक्त प्रकृति के मामले पहले से अन्य न्यायालयों में लंबित हैं तो उचित व आवश्यक होने पर उन्हें अपने न्यायालय में प्रत्याहूत कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करें।

इसी क्रम में गंभीर प्रकृति के आपराधिक प्रकरणों का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या 7 / पी0आई0/96 दिनांक 19.9.1996 जारी किया हुआ है जिसकी प्रति तुरंत सन्दर्भ के लिए संलग्न है।

उपरोक्त परिपत्र में अंकित The food Adulteration Act, The Essential Commodities Act, The Drugs and Cosmetics Act के मामलों के साथ–साथ धारा 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 एवं अन्य गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा किया जाना वांछनीय है। अतः सभी सेशन न्यायाधीशगण यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो एवं यदि उपरोक्त प्रकृति के मामले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में लंम्बित हैं तो उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित करें।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

रजिस्ट्रार जनरल